

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-595/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.186-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(251)-2022

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2-136/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश- (99)-2018 दिनांक 30 जनवरी, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, पांचवें परन्तुक में अंक, अक्षर और शब्द "30 जून 2022" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "28 जुलाई 2022" रख दिये जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 05 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव